

न्यायालय, अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या-270/2019-20

(खगड़िया थाना कांड सं०-650/2019)

राज्य बनाम मो० शबीर आलम

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख-सहित
1	2	3
21/8/21	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 3059/हि०शा० दिनांक 31.10.2019 के द्वारा खगड़िया थाना कांड संख्या-650/2019, दिनांक 18.08.2019, धारा-30ए बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 में जप्त एक काला रंग के डिसकभर मोटर साईकिल निबंधन संख्या-BR34K-4697 को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने के समर्पित प्रस्ताव के आलोक में आरंभ किया गया।</p> <p>अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, खगड़िया के प्रतिवेदन दिनांक-30.08.19 के अनुसार वादी स०अ०नि० बसावन राम दिनांक-19.08.19 को थाना रिजर्व गार्ड के गृहरक्षक सशस्त्र बल के साथ थाना से संध्या गश्ती में प्रस्थान किये थे। गश्ती के क्रम में गश्ती दल जब राजेन्द्र चौक के पास थी तो थाना के पु०अ०नि० मनोज त्रिपाठी टाईगर मोबाईल के हवलदार रवि कुमार, सि०/47, शिव कुमार सि०/162 कुणाल कुमार के साथ आकर वादी को बताये कि शराब के विरुद्ध छापामारी करना है। पु०अ०नि० मनोज त्रिपाठी के नेतृत्व में छापामारी दल के सभी सदस्य नाला रोड स्थित दुर्गा स्थान के पूरब तरफ सड़क किनारे जाकर आने वाले संदिग्ध का इन्तजार करने लगे। इसी बीच पूरब तरफ से एक मोटर साईकिल सवार दो व्यक्ति आते दिखाई दिया जिसे रोकना चाहा तो दोनों ने अपने मोटर साईकिल से टाईगर मोबाईल के मोटर साईकिल में धक्का देकर गिरा दिया। उसके बाद दोनों भागना चाहा तो पु०अ०नि० मनोज त्रिपाठी तथा अन्य बल द्वारा उसे पकड़ने का प्रयास किया गया तो दोनों अभि० ने पु०अ०नि० मनोज कुमार त्रिपाठी को जोरदार धक्का मार गिरा दिया। जिससे पु०अ०नि० मनोज कुमार त्रिपाठी नीचे गिर गये और उसका सिर फट गया और बायां कान से खून आने लगा तथा वही पर बेहोश हो गये। लेकिन छापामारी दल में शामिल अन्य सदस्यों के सहयोग से भाग रहे दोनों अभि० को पकड़ लिया गया। पकड़ाये व्यक्ति का नाम पूछने पर एक ने अपना नाम मो० आजाद पे०-मो० कलाम तथा दूसरा मो० बेलाल पे०-मो० रियासत दोनों सा०-इसलामपुर-थाना-मुफसिल, जिला-खगड़िया बताया। पकड़ाये अभियुक्त एवं मोटर साईकिल की विधिवत तलाशी ली गई तो तलाशी के क्रम में एक काला रंग के डिसकभर मोटर साईकिल वाहन निबंधन संख्या- BR34K-4697 के सीट सीट पर एक सफेद बोरी में 85 बोटल कफ सीरफ बरामद हुआ। अभियुक्तों के पास से बरामद</p>	